राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 100, 101, 102 व 103/2013/भीलवाड़ा
(अपील संख्या 1341, 1342, 1343 व 1344/2011/भीलवाड़ा)

मैसर्स गणेशदास सत्यनारायण, गांधीबाजार,
भीलवाड़ा। .अपीलार्थी व्यवहारी

बनाम

सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, ...प्रत्यर्थी विभाग
प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा.

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 104, 105, 106, 107 व 108/2013/भीलवाड़ा
(अपील संख्या 2002, 2003, 2004, 2005 व 2006/2011/भीलवाड़ा)

सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा। .....अपीलार्थी विभाग

बनाम

मैसर्स गणेशदास सत्यनारायण, गांधीबाजार,
भीलवाड़ा। .....प्रत्यर्थी व्यवहारी

खण्डपीठ
श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक। .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांकः–31.03.2014

निर्णय

उक्त नौ परिशोधन प्रार्थना पत्र व्यवहारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत् कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा **अपील संख्या 1341, 1342, 1343 व 1344/2011/भीलवाड़ा** व **अपील संख्या 2002, 2003, 2004, 2005 व 2006/2011/भीलवाड़ा** में पारित निर्णय दिनांक **10.05.2013** के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें व्यवहारी ने निर्णयों में कतिपय बिन्दुओं पर अभिलेख की प्रकट भूल बताते हुये उक्त पारित निर्णयों को परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

चूंकि प्रस्तुत उक्त नौ परिशोधन प्रार्थना पत्रों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं। अतः उक्त का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक प्रकरण की रिकॉर्ड पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि **अपील संख्या 1341, 1342, 1343 व 1344/2011/भीलवाड़ा** अपीलार्थी व्यवहारी तथा **अपील संख्या 2002, 2003, 2004, 2005 व 2006/2011/भीलवाड़ा** वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 31.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थीं। अपीलीय अधिकारी ने आदेश में विवादित आगत कर का मुजरा

लगातार.....2

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 व 108/2013/भीलवाड़ा

अस्वीकार करने के बिन्दु पर प्रकरणों को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया तथा ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें स्वीकार कर, उन्हें अपास्त किया गया। आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित करने के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं जबकि ब्याज व शास्ति अपास्त करने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलों में चुनौती दी गयी है । चूंकि प्रतिप्रेषण मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पालना करते हुये वैट नियम 35 के तहत् दिनांक 17.04.2013 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आदेश पारित किया जा चुका था इसलिये खण्डपीठ के संशोधनाधीन निर्णयों दिनांक 10.05.2013 में अपीलें निष्प्रभावी होने के कारण उन्हें खारिज किया गया । उल्लेखनीय है कि प्रतिप्रेषण के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गयी थी इसलिये अपील संख्या **अपील संख्या 1341, 1342, 1343 व 1344/2011/भीलवाड़ा** अस्वीकार की गयी । कर निर्धारण आदेशों में आई.टी.सी. अस्वीकार करने पर वैट कम जमा होने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत् ब्याज आरोपित किया गया था, उक्त ब्याज को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है जिसे विधिसम्मत नहीं होना निर्णित करते हुये इस बिन्दु पर खण्डपीठ द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये। शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय निर्णय की पुष्टि कर, विभागीय अपीलें अस्वीकार की गयी।

व्यवहारी ने खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णयों में रिकॉर्ड पर परिलक्षित भूल होना प्रकट, कर, अधिनियम की धारा 33 के तहत् ऊपर अंकित परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा उक्त प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की स्थिति में पूर्ण अपीलीय आदेश के विरूद्ध अपीलें निष्प्रभावी हो चुकी थी जिसमें ब्याज का बिन्दु भी शामिल था फिर भी खण्डपीठ ने केवल आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया है। उक्त रिकॉर्ड पर उपलब्ध भूल परिलक्षित होने के कारण पारित निर्णय दिनांक 10.05.2013 परिशोधनीय होना प्रकट कर, प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने की प्रार्थना की गयी ।

विभाग द्वारा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर, प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुये कथन किया कि खण्डपीठ द्वारा

लगातार.....3

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 व 108/2013/भीलवाड़ा

पारित निर्णय में कोई भूल परिलक्षित नहीं हो रही है। खण्डपीठ ने प्रतिप्रेषण बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के कारण अपील को निष्प्रभावी निर्णित किया है । अपीलीय आदेश में ब्याज जो कि आई.टी.सी. अस्वीकार होने की स्थिति में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया था, उसे अपास्त कर दिया था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गयी थी । ब्याज भी आई.टी.सी. सत्यापन पर निर्भर होने के कारण अपीलीय आदेश में इस बिन्दु पर भी अपीलें प्रतिप्रेषित करनी चाहिये थी लेकिन अपीलीय आदेश में ब्याज को अपास्त ही कर दिया था जो कि अविधिक होने के कारण खण्डपीठ द्वारा प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया था । इस प्रकार खण्डपीठ के निर्णय में किसी प्रकार की रिकॉर्ड से परिलक्षित भूल नहीं होने की स्थिति में, परिशोधन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 10.05.2013 व रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि पारित निर्णय में ब्याज के बिन्दु पर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया है चूंकि अपीलीय अधिकारी ने आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया था जबकि ब्याज भी आई.टी.सी. स्वीकार या अस्वीकार करने पर अवलंबित है फिर भी अपीलीय अधिकारी ने ब्याज को अपास्त ही कर दिया था । इसलिये खण्डपीठ ने इस बिन्दु पर भी प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया था। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन स्वीकारयोग्य नहीं है कि जिसबिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित नहीं किया गया है उस बिन्दु पर भी अपील निष्प्रभावी मानी जानी चाहिये थी । खण्डपीठ द्वारा प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर विधिक स्थिति अनुसार निर्णय पारित किये गये हैं जिनमें रिकॉर्ड पर उपलब्ध भूल परिलक्षित नहीं होने के कारण इन निर्णयों को वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत् संशोधित नहीं किया जा सकता । अधिनियम की धारा 33 का क्षेत्र सीमित है जिसमें निर्णयों को रिव्यू (Review) करने का क्षेत्र शामिल नहीं है ।

अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत नौ परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

31.3.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
31/3/14